

4014

and w. NO 2

3735



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 95c296d3ca49cb6d1c4b

Receipt Date : 07-Nov-2020 10:55:27 am

Receipt Amount : 15200/-

Amount In Words : Fifteen Thousands Two Hundred Rupees Only

Token Number : 20200000096250

Office Name : SRO - Bokaro

Document Type : Sale Deed

Payee Name : DHIRENDRA KUMAR PANDEY (Vendor)

GRN Number : 2002679951



Handwritten notes on the left margin: 280,000, 07.08.20, and other illegible scribbles.

नियम 21 के अधीन ग्राह्य भारतीय स्टाम्प

अधिनियम 1899 की अनुसूची। संख्या..... 506 :- For Office Use :-

के अधीन यथावत् स्टाम्प-शुल्क लगाया गया है। या स्टाम्प शुल्क स..... 15200 विमुक्त है।

Handwritten signature and stamp of the official.

निबंधन पदाधिकारी

बोकारो

7/11/20

Handwritten calculation table:
ACI 11400 = 00
Sdu 3 = 00
Pj 1 = 00
4 = 00
Total: 11404 = 00
Date: 07/11/20

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अधिनियम 1899 की धारा 62

Handwritten signature and date at the bottom.



leg

Ashok Kumar
7.11.20



“केवाला दलिल”

केवालादातागणः- 1. श्री पल्लु राम महतो पिता-स्व0 मंगरु महतो 2. श्री परमेश्वर महतो पिता-स्व0 खेदु महतो 3. श्री अशोक कुमार महतो पिता-स्व0 जीतु महतो, जाति-कुम्हार पेशा-खेती निवास स्थान-चिरा चास, पो0 वो थाना-चास, जिला-बोकारो, झारखंड, के तरफ से विगत दिनांक 14/09/2020 तारीख को अत्र चास रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री कृत आम मुख्तार नं0 IV-219 के द्वारा क्षमता प्राप्त प्रतिनिधि नियुक्त श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, आधार संख्या-8063 1104 6469, मो0 नं0-7488538181, पिता-श्री मुक्ती नाथ पाण्डेय एवं पितामह-स्व0 हेम नारायण पाण्डेय, जाति-ब्राह्मण पेशा-नौकरी निवास स्थान-HD/15, City Center, Sector IV, B.S. City, जिला-बोकारो, झारखंड। (सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 (1) बी के दायरे से बाहर है।) पॉवर कर्ता जीवित है एवं पॉवर रद्द नहीं हुआ है तथा बिक्रीत रकवा से प्राप्त रकवा अधिक है।

केवाला ग्रहितागणः- 1. श्रीमती अनिता कुमारी सिंह, आधार संख्या-4961 3045 7101, मो0 नं0-8709826668, पति-श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह एवं पिता-स्व0 चन्द्रकेतु सिंह तथा पितामह-स्व0 बच्चा सिंह, जाति-राजपूत पेशा-शिक्षिका, 2. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, आधार संख्या-9929 7294 0585, मो0 नं0-8709826668, पिता-राम कुमार सिंह एवं पितामह-स्व0 खड़कधारी सिंह, जाति-राजपूत पेशा-नौकरी स्थाई निवास स्थान-निरखपुर, पो0 एवं थाना-पालीगंज, जिला-पटना, बिहार, वर्तमान निवास स्थान-सेक्टर 6/बी, क्वार्टर नं0 1034, बी0एस0सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड। (भारतीय)।

लेख्यप्रकारः- बिक्रय पत्र केवाला। (Sale Deed)

केवाला दस्तावेज मूल्य 3,80,000 (तीन लाख अस्सी हजार) रूपये, मौजा “चास” के अन्दर रकवा 910 वर्ग फीट, (नौ सौ दस वर्ग फीट) यानी 2.08 डि0 जमीन मात्र, जिसका सालाना मालगुजारी 05 पैसा, मालिक जमीनदार झारखंड सरकार, अंचल कार्यालय चास।

जमीन किस्मः- आवासीय योग्य खाली जमीन है, जो कि चास नगर निगम के वार्ड नं0-02 में अवस्थित है। जिसका होल्डिंग नं0-0020002842000M0, है।

अनिता कुमारी सिंह
सत्येन्द्र कुमार सिंह

दस्तावेज में अंकित प्लॉट से बाहर है

Ahmeda Khatun
7.11.20

7/11
दस्तावेज में अंकित प्लॉट वन भूमि से बाहर है।

तफशील सम्पत्ति:- जिला बोकारो सदर सब रजिस्ट्री ऑफिस बोकारो, चास परगना खासपेल थाना चास के अन्तर्गत 30 नं० थाना भुक्त मौजा "चास" के अन्दर धनबाद रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ विगत दिनांक 01/06/1966 तारीख का 9653 नं० केवाला दस्तावेज के द्वारा राखोहरि दे दलाल वगैरह के निकट से एवं दिनांक 03/07/1966 तारीख का 13316 नं० केवाला दस्तावेज के द्वारा श्रीमती बाकुल बाला दास्या वगैरह के निकट से हमलोगों में से 1 नं० दाता के पिता एवं 2 वो 3 नं० दाताओं के पितामह स्व० मंगरू महतो वगैरह के नाम से केवाला खरीदा हुआ सम्पत्ति होता है। जिसका खाता नं० 307 (तीन सौ सात) शामिल प्लॉट नं० 189 (एक सौ नवासी) रकवा 66 डि० एवं प्लॉट नं० 190 (एक सौ नब्बे) रकवा 61 डि० एवं प्लॉट नं० 191 (एक सौ एकानब्बे) रकवा 12 डि० तथा प्लॉट नं० 187 (एक सौ सतासी) रकवा 47 डि०, कुल चार प्लॉट में कुल रकवा 1 एकड़ 86 डि० में से दो दस्तावेजों में खरीदा रकवा 93 डि० में से 1 नं० दाता का निजांश रकवा 15.50 डि० एवं 2 नं० दाता का निजांश रकवा 15.50 डि० एवं 3 नं० दाता का निजांश रकवा 5.50 डि०, कुल रकवा 36.60 डि० में से आम मुख्तार प्राप्त रकवा 21.50 डि० में से चौहद्दी मुताबिक रकवा 910 वर्ग फीट, (नौ सौ दस वर्ग फीट) यानी 2.08 डि० जमीन मात्र आज आपलोग के हाथ केवाला बिक्री किया एवं आज ही से दखल कब्जा दिया। जिसका चौहद्दी:-

उत्तर-दाता का निज (अम्बिका-3)	दक्षिण-दाता का निज (अम्बिका-5)
पूरब-रास्ता	पश्चिम-बाउण्डी वाल

जो कि दस्तावेज के साथ नक्शा नथी किया हुआ लाल रंग से रंगा कर बिक्रीत जमीन दिखाया गया है। रजिस्ट्रर II का भोलुम नं० 89, पेज नं० 88 में दर्ज है एवं मालगुजारी वसूल है।

दाताओं का वंशावली

1 नं० दाता के पिता एवं 2 वो 3 नं० दाताओं के पितामह के नाम से केवाला खरीदा हुआ सम्पत्ति है।

अनि-ना 9/11/20

रकवा-86

चूँके बिक्री केवाला दस्तावेज का विवरण है कि हमलोगों के आवश्यक संसारिक खर्च तथा अन्य खर्च के वास्तविक रूप से विशेष आवश्यकता आ जाने पर तफशील प्रकाशित सम्पत्ति बिक्री करने का प्रस्ताव करने पर आपलोग इसे खरीदने के लिए राजी हुए जो कि तफशील प्रकाशित सम्पत्ति कि समयोचित बाजार मूल्य 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) रुपये आपलोग से चेक द्वारा पाकर उक्त तफशील प्रकाशित सम्पत्ति इस केवाला दस्तावेज के द्वारा आपलोग के हाथ बिक्री करते हुए हमलोग तथा हमलोगों के उत्तराधिकारीगण सदा के लिये सम्पूर्ण रूप से निःस्वत्व होकर इसका सब कुछ हक अधिकार दखल कब्जा यानी पूरा-पूरा मिलकियत आपलोग के हाथ हस्तांतरण कर दिया।

Ahmeda Kufaradi
7.11.20

आपलोग आज तारीख से बिक्रीत तफशील प्रकाशित सम्पत्ति का सालाना मालगुजारी 05 पैसा, वर्तमान मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार का प्रति वर्ष लागान वसुल देते हुए अपने नाम पर चेक दाखिला आदि लेकर उक्त तफशील प्रकाशित सम्पत्ति में आपलोग अपने इच्छानुसार कच्चा पक्का मकान, बाग-बगीचा, कुँआ, पैखाना गृह इमारत आदि निर्माण कर अपने वसवास भाड़ा बिली, दान बिक्री हस्तांतरण आदि सर्व प्रकार के मालिक बन कर वंशानुक्रम पर परम सुख से भोग दखल करते रहेंगे, इसमें हमलोग या हमलोगों के उत्तराधिकारीगण को कभी किसी को किसी प्रकार के दावी-दावा तथा उजर एतराज नही होगा, और न भविष्य में कर सकेगा अगर करें तो कानूनन वातिल एवं नाजायज समझा जायेगा।

प्रकाश रहे कि बिक्रीत तफशील प्रकाशित सम्पत्ति सम्पूर्ण रूप से निर्दाय तथा निर्विवाद अवस्था में है तथा इस पर किसी को किसी प्रकार का कच्चा पक्का एग्रीमेंट या बेनामी हस्तांतरण आदि या बैंक मोरगेज एवं किसी प्रकार का ऋण आदि नही है। फिर भी किसी प्रकार त्रुटि रहना प्रमाण आवे तो हमलोग या हमलोगों के उत्तराधिकारीगण पूरा-पूरा क्षति पूर्ती का दायी होंगे। तफशील प्रकाशित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि या सरकारी अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है।

घोषणा पत्र

बिक्रेता एवं क्रेता यह घोषणा करते हैं कि दस्तावेज में उनके द्वारा संलग्नित सभी तथ्य बिल्कुल सही है तथा जो कागजात का छाया प्रति संलग्न है बिल्कुल सही है, यदि किसी प्रकार का गलत साबित होता है तो सारी जिम्मेदारी पक्षगणों की होगी।

अतः हमलोग अपनी-अपनी शरीर और मन कि स्वस्थ अवस्था में सोच विचार कर बिना किसी जोर व दबाव में यह केवाला दस्तावेज सम्पादन कर दियो जो समय पर काम आवे और प्रमाण रहे।
इति अंग्रेजी सन 2020 ई0 तारीख 04/11/2020।

अनिता कुमारी सिंह
अनिता कुमारी सिंह


Ahindarkar Lawy
7.11.20

प्रारूपकर्ता (लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के कथानुसार):- श्री सतीश चन्द्र दुबे, दस्तावेज लेखक मो0 चास।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र इस दस्तावेज में लगा है, के बाये अंगूलियों के निशान मेरे सामने लिया गया है।

प्रारूपकर्ता का हस्ताक्षर:-




L. No-6/2017

क्रेता का छायाचित्र
हस्ताक्षर व निशान :-

गवाहगण

1. सत्येन्द्र उमा सिंघ
प्रिवात. लुगान्द मर
विश्वनाथ सिंघ
मद्रास
2. A. B. Marat
S/o Law-Deordaya
Marat




अनिता कुमारी सिंघ





सत्येन्द्र उमा सिंघ



Ches -
7-11-20
अनिता कुमारी सिंघ
सत्येन्द्र उमा सिंघ